प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 508 / 2007

ध्रुव लाल चंद्राकर व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें: दिनांक 24/08/2012

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक प्रकरण क्र. 508 / 2007

अपीलार्थीगण

1. ध्रुव लाल चंद्राकर, उम्र लगभग 50 वर्ष, आत्मज कामदेव चंद्राकर
2. लोकेश चंद्राकर, उम्र लगभग 24 वर्ष, आत्मज ध्रुव लाल चंद्राकर
3. रवि शंकर चंद्राकर उर्फ़ गोलू, उम्र लगभग 20 वर्ष, आत्मज आड़ू राम चंद्राकर
4. श्रीमती प्रेम लता चंद्राकर, उम्र लगभग 45 वर्ष, पति ध्रुव लाल चंद्राकर

सभी- निवासी सुभाष नगर, कुकरीपारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा: थाना पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:

श्री उत्तम पाण्डेय, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य

निर्णय

(24.08.2012)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा न्यायालय का यह निर्णय पारित किया गया।

(1) यह अपील विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, रायपुर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्र. 116/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19 जून 2007 के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय के अधीन, अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश के समवर्ती अनुपालन के निर्देश के साथ निम्नानुसार दंडादिष्ट किया गया है:-

दोषसिद्धि	**दंडादेश**
अंतर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं.	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
अंतर्गत धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सह-पठित धारा 34 भा.दं.सं. (संक्षिप्त में विशेष अधिनियम, 1989)	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

दिनांक 8.7.2006, शाम लगभग 4.00 बजे नगर निगम द्वारा अपीलार्थी क्र. 1 की दुकान के सामने नाले के निर्माण को लेकर अपीलार्थीगण और मृतक (दीपक राज) के बीच झगड़ा शुरू हुआ। विवादित भूमि सार्वजनिक भूमि थी। मृतक एक समाज सेवक था तथा उसी इलाके का निवासी था। वह उक्त भूमि पर एक बगीचा विकसित करने की मांग कर रहा था, इसलिए वह निगम द्वारा नाले के निर्माण का विरोध कर रहा था। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, एम्बाई (आ.सा.-5- मृतक की मां) और भूपतबीर (आ.सा.-9- मृतक का भाई) मृतक को उसके घर ले गए। यह अभिकथन है कि इसके बाद अपीलार्थी क्र. 4 मृतक के घर आई और उसे विवादित स्थान पर बुलाया। मृतक अपीलार्थी क्र. 4 के साथ नहीं गया, हालांकि वह उसके पीछे-पीछे गया। मृतक के विवादित भूमि पर पहुंचते ही, अपीलार्थी क्र. 2 नरेंद्र सिंह यादव (एक अभियुक्त, जिसके विरुद्ध बाद में प्रकरण चला, जो नगर निगम पार्षद था) के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और उसके बाद अपनी कमीज उतारकर मृतक पर हाथ-मुक्के से हमला करना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष का आगे यह मामला है कि उस समय अपीलार्थी क्र. 1 मृतक के हाथ पकड़े हुए था और अपीलार्थी क्र. 4 उसके बाल पकड़े हुए थी, और अपीलार्थी क्र. 3 और एक अन्य अभियुक्त विजय सिंह उर्फ बिज्जू ठाकुर, जिसके विरुद्ध बाद में नरेंद्र सिंह यादव

के साथ प्रकरण चला, ने भी मृतक पर हाथ-मुक्के से हमला किया था और नरेंद्र सिंह यादव उन्हें उस समय उकसा रहा था। पहले दौर में, चारों अपीलार्थीगण (ए-1 से ए-4) के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया और उनके प्रकरण को विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया गया। इसके पश्चात, एम्बाई (आ.सा.-5), अंबिका बाई (आ.सा.-7) और गगनबीर (आ.सा.-8) के बयान दर्ज करने के बाद, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने नरेंद्र सिंह यादव और विजय सिंह उर्फ बिज्जू ठाकुर के खिलाफ धारा 319 दं.प्र.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिया और इन्हें भी अपीलार्थीगण (ए-1 से ए-4) के साथ उपर्युक्त अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया। चूंकि उपर्युक्त 2 अभियुक्त व्यक्ति लापता थे, इसलिए विशेष न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलार्थीगण (ए-1 से ए-4) के विरुद्ध दायर प्रकरण की कार्यवाही आगे बढ़ाई और उन्हें दोषसिद्ध करते हुए उपर्युक्त अनुसार दंडादिष्ट किया।

बाद में नरेंद्र सिंह यादव और विजय सिंह उर्फ बिज्जू ठाकुर के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश के समक्ष विशेष सत्र प्रकरण क्र. 106/2006 दर्ज कर कार्यवाही की गई और 22 मार्च, 2011 के निर्णय द्वारा उन पर लगे आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। एम्बाई (आ.सा.-5) ने उपरोक्त 2 अतिरिक्त अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए दोषमुक्ति अपील क्र. 137/2011 दायर की, जिसे इस न्यायालय की एक युगल पीठ ने आदेश दिनांक 1 नवंबर, 2011 द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष का मामला रफीक अली (आ.सा.-1), हसीना बेगम (आ.सा.-2), कुलसुम बेगम (आ.सा.-3), डमरू यादव (आ.सा.-4), एम्बाई (आ.सा.-5), अंबिका बाई (आ.सा.-7) और गगनबीर (आ.सा.-8) के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बयानों पर आधारित था। उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से, आ.सा.-1 से लेकर आ.सा.-4 तक पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया तथा उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने एम्बाई (आ.सा.-5), अंबिका बाई (आ.सा.-7) और गगनबीर (आ.सा.-8) के बयान का अवलंबन लेते हुए अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध करते हुए दंदादिष्ट किया।

(3) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पांडे ने तर्क दिया है कि वास्तव में, यह मृतक और अपीलार्थी क्र. 2 के बीच का झगड़ा था; ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि अन्य अपीलार्थीगण और अपीलार्थी क्र. 2 के बीच सामान्य आशय था; ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि अन्य अपीलार्थीगण ने अपीलार्थी क्र. 2 द्वारा किए गए मारपीट में किसी भी प्रकार से भाग लिया था। अपीलार्थी क्र. 2 के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है और वह किसी कम धारा के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, अधिमानतः

धारा 304 भा.दं.सं. के भाग-I या भाग-II के अंतर्गत। विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए, उन्होंने तर्क दिया है कि विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और सभी अपीलार्थी उपरोक्त अभिकथित अपराध होने के लिए दोषमुक्त करने के योग्य हैं।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने उक्त तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क विस्तार से सुना और विशेष सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है।

(6) सर्वप्रथम हम अपीलार्थी 1, 3 एवं 4 की धारा 34 भा.दं.सं. के तहत की गई दोषसिद्धि पर विचार करेंगे।

(7) धारा 34 को आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा मात्र साक्ष्य का एक नियम है और इससे कोई मूल अपराध गठित नहीं होता है। कृत्य में भागीदारी का तत्व इस प्रावधान की विशिष्ट विशेषता है। एक व्यक्ति कई व्यक्तियों द्वारा अपराध कारित करने के दौरान दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य के लिए धारा 34 के अंतर्गत तब जिम्मेदार होती है, जब ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है, और इसलिए, ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय के आरोप को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्य के माध्यम से धारा 34 की सहायता लेते हुए यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्त ने उस अपराध को अंजाम देने की योजना बनाई थी या उनके बीच तालमेल था, चाहे वह पूर्वनियोजित हो या तात्कालिक, लेकिन यह अपराध घटित होने से पूर्व होना अनिवार्य है। इस प्रावधान का वास्तविक सार यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कृत्य करते हैं, तो उनकी विधिक स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने वह कृत्य व्यक्तिगत रूप से किया हो। किसी अपराध में शामिल व्यक्तियों के बीच एक सामान्य आशय का होना इस प्रावधान के प्रयोजन हेतु आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोपित विभिन्न अभियुक्तों के कृत्य एक जैसे या हूबहू समान हों। कृत्यों का स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन प्रावधानों को लागू करने के लिए उनका एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होना आवश्यक है **(देखें अनिल शर्मा व अन्य बनाम झारखंड राज्य (2004) 5 एससीसी 679)**। उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि वर्ष 1870

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, धारा 34 में "व्यक्तियों" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द से पहले "अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में" शब्द जोड़कर संशोधन किया गया था, ताकि धारा 34 का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। इस प्रावधान में न तो "सभी का सामान्य आशय" कहा गया है और न ही "और आशय जो सबके लिए सामान्य हो" कहा गया है। धारा 34 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व का सार अभियुक्त को प्रेरित करने वाले सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाता है, जो ऐसे आशय को अग्रसर करने के लिए आपराधिक कृत्य करने की ओर ले जाता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 के साथ धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, तो विधि में इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि वह कृत्य केवल उसी ने किया हो। इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामलों से निपटना है जिनमें किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किए गए कृत्यों में अंतर करना मुश्किल हो जो सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, या यह प्रमाणित करना मुश्किल हो जाए कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भूमिका निभाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) **<u>दानी सिंह बनाम बिहार राज्य, 2005 एससीसी (क्रि) 127 (कंडिका 20)</u>** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय को गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभियुक्त का आशय बाकी लोगों को ज्ञात हो और उनके द्वारा साझा किया गया हो। निःसंदेह, मात्र एक व्यक्ति के आशय तक को प्रमाणित करना मुश्किल है, और इसलिए, व्यक्तियों के समूह के सामान्य आशय को प्रमाणित करना और भी मुश्किल है। लेकिन यह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को ऐसे तथ्यों, परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जिनसे उनका सामान्य आशय सुरक्षित रूप से संचित किया जा सके। अधिकांश मामलों में, इसका अनुमान संबंधित मामले में किया गया कृत्य, आचरण या अन्य सुसंगत परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या अभियुक्त का अपराध करने का कोई सामान्य आशय था जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है। प्रकरणों के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करने वाला है या नहीं, यह तथ्य का विषय है, विधि का नहीं।

(9) अतः, यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए कि वह घटना स्थल पर या उसके आस-पास मौजूद था, बिना कोई और कृत्य किए, बिना कोई हथियार लिए और बिना अन्य

हमलावरों के साथ चले, उसे अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 34 भा.दं.सं. की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(10) एम्बाई (आसा-5) मृतक की मां हैं। उसने कथन किया है कि दिनांक 8.7.2006 को दोपहर लगभग 2.00 बजे विवादित स्थान पर नाली के निर्माण के लिए नगर निगम के मजदूरों द्वारा नींव खोदी जा रही थी। उसका बेटा (मृतक) वहां गया और अपीलार्थी क्र. 1 से उपरोक्त काम के बारे में पूछताछ की। उक्त भूमि एक सार्वजनिक (शासकीय) भूमि थी और उसका बेटा उस भूमि पर एक बगीचा विकसित करना चाहता था, जिसके लिए उसने नगर निगम पार्षद को एक आवेदन दिया था। तत्पश्चात, वह अपने बेटे को अपने घर ले आई। कुछ समय बाद ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) की पत्नी प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) उसके घर आई। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसने उसे अंदर बुलाया, लेकिन प्रेम लता घर के अंदर नहीं आई। औपचारिकतावश, उसने (आ.सा.-5) दरवाजा खोला, लेकिन प्रेम लता (ए-4) अपने घर की ओर लौट गई। दीपक राज (मृतक) प्रेम लता (ए-4) के पीछे-पीछे गया। इसके बाद उसने (एम्बाई-आसा-5) देखा कि विपरीत दिशा से लोकेश चंद्रकर (ए-2) नगर निगम पार्षद नरेंद्र सिंह यादव को मोटरसाइकिल पर लेकर आया। नरेंद्र सिंह ने उसके बेटे (मृतक) को देखकर बोलने लगा कि 'मारो साले को' क्योंकि वह (मृतक) हमेशा उसका विरोध करता है। इस पर, लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने अपनी कमीज उतारकर जमीन पर फेंक दी और उसके बाद अपीलार्थीगण ने उसके बेटे को पकड़ लिया और उस पर हाथ मुक्के से हमला कर दिया। उसने आगे कथन किया है कि प्रेम लता (ए-4) ने उसके बेटे के बाल पकड़ रखे थे और अन्य अभियुक्त व्यक्ति उसको मार रहे थे। बिज्जू ठाकुर भी वहां मौजूद था। उसने नरेंद्र सिंह और बिज्जू से अपने बेटे को बचाने के लिए निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। फिर मृतक बेहोश हो गया था। उसे रविकृष्ण अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अंबिका बाई (आ.सा.-7) एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। मृतक उसका सौतेला बेटा था। उसने भी पूरी घटना देखी थी। उसने कथन किया है कि घटना दिनांक को दीपक राज (मृतक) घटनास्थल पर गया और मजदूरों से पूछा कि वे नींव कैसे खोद रहे हैं। मजदूरों ने उसे दुकानदार (ए-1) से पूछने को कहा। इसके बाद दीपक राज (मृतक) ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) की दुकान पर गया और काम के बारे में पूछा। ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) ने कहा कि यह काम उसके कहने पर किया जा रहा है। दीपक राज (मृतक) ने कहा कि यह जमीन मंदिर के पास है, इसलिए यहाँ बगीचा विकसित किया जाना चाहिए। उसने काम रोकने को कहा। ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) और मृतक के बीच उग्र बहस सुनकर, वह मृतक को अपने घर ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) उसके घर आई। दीपक राज (मृतक) ने कहा कि "आंटी आई हैं और आपने दरवाजा बंद कर दिया है"। फिर

दरवाजे को खोल दिया गया। प्रेम लता (ए-4) ने दीपक राज को बुलाया। फिर प्रेम लता अपने घर की ओर चले गई। दीपक राज भी उसके पीछे-पीछे गया। तब लोकेश चंद्राकर (ए-2) नगर निगम पार्षद को बुलाने गया हुआ था। इसके बाद लोकेश (ए-2) पार्षद के साथ आया। लोकेश (ए-2) ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) का बेटा हैं और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) की पत्नी हैं। जब लोकेश चंद्राकर (ए-2) पार्षद नरेंद्र सिंह यादव के साथ आया, तो लोकेश चंद्राकर (ए-2) अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और अपनी कमीज उतारकर जमीन पर फेंक दी और दीपक राज (मृतक) को मारना शुरू कर दिया। उस समय नरेंद्र सिंह उसे ललकारते हुए कह रहा था कि वह (मृतक) हमेशा समस्या खड़ी करता है। लोकेश चंद्राकर (ए-2) मृतक को हाथ से मार रहा था। गोलू चंद्राकर (ए-3), ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) भी वहां मौजूद थे। सभी मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे।

(12) गगनबीर (आ.सा.-8) मृतक का भाई है। वह भी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने कथन किया है कि उस घटना वाले दिन को प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) ने उसके भाई को बुलाया था। तभी लोकेश चंद्राकर (ए-2) नगर निगम पार्षद को लेकर आया। अचानक लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने अपना कपड़ा उतारकर मारपीट करना शुरू कर दिया। पार्षद नरेंद्र सिंह यादव "मारो साले को" कह रहा था। बिज्जू ठाकुर भी वहां मौजूद था। उसके भाई का फौत हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर उसका शव परीक्षण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर, हम पाते हैं कि यद्यपि प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) मृतक को बुलाने के लिए उसके घर आई थी, लेकिन मृतक उसके साथ नहीं गया था। हालांकि मृतक ने यह कहते हुए कि आंटी आई है, प्रेम लता के पीछे-पीछे घटनास्थल पर पहुंचा। सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य इस तथ्य पर एक जैसे हैं कि उस समय लोकेश चंद्राकर (ए-2) और नरेंद्र सिंह यादव (पार्षद) अलग दिशा से मोटरसाइकिल पर घटनास्थल पर आए थे। इसके बाद लोकेश चंद्राकर (ए-2) मोटरसाइकिल से उतरा और अपनी कमीज उतारकर मृतक से लड़ने लगा और मृतक को हाथ मुक्के से मारने लगा। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उस समय ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) मृतक के हाथ पकड़े हुए था और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) उसके बाल पकड़े हुए थीं। हमें झगड़े से संबंधित 3 साक्षियों के साक्ष्यों में विरोधाभास दर्शित होता है। एम्बाई (आ.सा.-5) ने केवल यह कथन किया है कि प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) मृतक के बाल पकड़े हुए थीं और उसने (आ.सा.-5) यह सामान्य रूप से कथन किया है कि सभी अपीलार्थीगण उस पर हमला कर रहे थे, जबकि अंबिका बाई (आ.सा.-7), जिसने भी पूरा साक्ष्य देखा, ने यह कथन नहीं किया है कि ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) मृतक के हाथ पकड़े हुए था या प्रेम लता चंद्राकर (ए-

4) मृतक के बाल पकड़े हुए थी। लेकिन, उसने भी सामान्य रूप से कथन किया है कि सभी मृतक पर हमला कर रहे थे। गगनबीर (आ.सा.-8) तीसरा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने भी पूरी घटना देखी थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कथन किया है कि लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने अचानक अपनी कमीज उतारकर मृतक के साथ मारपीट करने लगा। उसने लोकेश चंद्राकर (ए-2) द्वारा मृतक के साथ मारपीट करने में किसी अन्य अपीलार्थी की भागीदारी के बारे में कथन नहीं किया है। उसने भी अन्य अपीलार्थीगण द्वारा कारित किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष कृत्य के बारे में कथन नहीं किया है जो लोकेश चंद्राकर (ए-2) द्वारा मृतक के साथ मारपीट करने के लिए उनके बीच सामान्य आशय का कोई तत्व दर्शाये। हालांकि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने कथन किया है कि उस समय नरेंद्र सिंह यादव "मारो साले को" कहकर उकसा रहा था, लेकिन पश्चातवर्ती सत्र प्रकरण में विशेष न्यायाधीश द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया और दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील को ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। जब सभी अभियुक्त अलग-अलग दिशाओं से एक के बाद एक घटनास्थल पर एकत्रित हुए, तो फिर सामान्य आशय कैसे हो सकता है। ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो उनके बीच तालमेल दर्शाये। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर पूर्ण रूप से विचार करने पर, हम यह नहीं पते हैं कि वर्तमान प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1), रवि शंकर चंद्राकर उर्फ गोलू (ए-3) और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) का मृतक की मृत्यु कारित करने या उसके साथ मारपीट करने के लिए लोकेश चंद्राकर (ए-2) के साथ कोई सामान्य आशय था। अतः, धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपीलार्थीगण- ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1), रविशंकर चंद्राकर @ गोलू (ए-3) और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अब हम अपीलार्थी लोकेश चंद्राकर (ए-2) के मामले पर विचार करेंगे।

(15) श्री पांडे ने तर्क दिया है कि नाली के निर्माण के कारण पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ और अचानक हुए झगड़े में लोकेश चंद्रकर (ए-2) ने मृतक के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया, इसलिए धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है।

(16) डॉ. उल्हास गोन्नाडे (आ.सा.-6) ने मृतक के शव का परीक्षण किया था। उन्होंने पाया कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। हालांकि मृतक के वस्त्र पर धूल और ईंट के टुकड़े लगे हुए थे। सभी बाहरी अंग स्वस्थ थे। आंतरिक परीक्षण करने पर उसने पाया कि खोपड़ी में सबड्यूरल हेमरेज था। उसने आगे पाया कि बाईं ओर की छठी पसली के स्थान पर रक्तस्राव था और बाईं ओर की पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं पसलियां अस्थि-भंग थी। उसने आंत की झिल्ली में भी कुछ रक्तस्राव पाया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने राय दी कि मृत्यु का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप सदमा और

रक्तस्राव था और चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित की गई थीं। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.-पी/19 है।

(17) वर्तमान मामला यह नहीं है कि लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने मृतक के खिलाफ किसी हथियार का इस्तेमाल किया है। सभी साक्षियों ने कथन किया है कि लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने मृतक को हाथ और मुक्के से मारा था। मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। मृतक पर लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने जब दुबारा झगड़ा हुआ तब हमला किया था। यह प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा नाले के निर्माण को लेकर ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) और मृतक के बीच पहली बार हुए झगड़े के बाद, ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1) ने अपने बेटे लोकेश चंद्राकर को नगर पार्षद नरेंद्र सिंह यादव को बुलाने के लिए भेजा, जो लोकेश चंद्राकर (ए-2) के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और मृतक और अन्य अपीलार्थीगण के बीच झगड़ा देखकर, लोकेश चंद्राकर (ए-2) अचानक मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, अपनी कमीज उतार दी और मृतक पर हाथ मुक्के से हमला कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक पर हमला करने के लिए लोकेश चंद्राकर (ए-2) ने कोई तैयारी या पूर्वचिंतन नहीं किया था और मारपीट अचानक हुए झगड़े के कारण हुआ, जो इलाके के दो समूहों के बीच हुआ था, क्योंकि एक समूह चाहता था कि सार्वजनिक भूमि पर नाली का निर्माण किया जाए और दूसरा समूह चाहता था कि उस भूमि पर एक बगीचा विकसित किया जाए। हमारा यह मानना है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि लोकेश चंद्राकर (ए-2) का आशय मृतक की हत्या करने का था। हालांकि, यह जरूर अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि उसके उक्त कृत्य से मृतक की मृत्यु होने की संभावना है या मृतक को ऐसी शारीरिक चोटें लगने की संभावना है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। हमारा यह मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है और अपीलार्थी लोकेश चंद्राकर (ए-2) धारा 304 के भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) अब हम विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पर विचार करेंगे।

(19) विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (v) में यह प्रावधान है कि, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करता है कि वह व्यक्ति अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा। मृतक के अनुसूचित जनजाति

का सदस्य होने के अलावा, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत भी अपराध बनता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण हमला किया गया था। वर्तमान मामला यह है कि सामान्य ढंग से मारपीट हुआ जिसमें संयोगवश मृतक अनुसूचित जनजाति का सदस्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मृतक के अनुसूचित जनजाति के होने के आधार पर दोषसिद्धि अधिनिर्णीत की गई है। धारा 3 (2) (v) में प्रयुक्त "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" जैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि उपरोक्त तत्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जो कि धारा का एक अनिवार्य तत्व है, तो केवल इस आधार पर कि मृतक अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपराध गठित नहीं होता है। हमें **रामदास वअन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2007 एससी 155** से समर्थन मिलता है। हमारे मतानुसार विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत दोषसिद्धि अधिनिर्णीत किया है जो कि बरकरार नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दंडादेश और दोषसिद्धि अपास्त किया जाता है। उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण ध्रुव लाल चंद्राकर (ए-1), रवि शंकर चंद्राकर उर्फ गोलू (ए-3) और प्रेम लता चंद्राकर (ए-4) को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अधिनिर्णीत दंडादेश और दोषसिद्धि भी अपास्त किया जाता है। उन्हें उपरोक्त आरोपों से भी दोषमुक्त किया जाता है।

(21) अपीलार्थी लोकेश चंद्राकर (ए-2) को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अधिनिर्णीत दंडादेश और दोषसिद्धि को भी अपास्त किया जाता है। इसके बदले में, उसे धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। वह पहले से भुगते गए कारावास की अवधि को समायोजित करने का हकदार होगा।

सही/- सही/-

सुनील कुमार सिन्हा आर.एस. शर्मा

न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur